

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Fax: 01364-233204, E-mail ID: eeppwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 1556/180
सेवामें,

दिनांक 05/5/2018

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून

विषय- वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/ 10540/2015 जनपद रुद्रप्रयाग में जसोली काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु 0.665 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/65/2015/एफसी/1709 दिनांक 29.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है-
प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं इसके 10 वर्षों के रख-रखाव एवं एनपीवी हेतु वांछित धनराशि रू० 8,26,905.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 15089113105402015289 IFSC code CORP0000633, Corporation Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1)।

1. प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 0.665 है० के 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रू० 3,90,000.00 मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1)।
2. प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि रू० 4,36,905.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक-1 के अनुसार)।
3. शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग जमा करने के लिए बचनबद्ध है, संलग्नक-2
4. शर्त संख्या 1 व 2 के अनुसार-संलग्नक-1
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव होगा, सड़क के दोनों किनारों पर तथा Central Verge पर Strip Plantation प्रयोक्ता एजेन्सी लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग अपने व्यय पर करने हेतु बचनबद्ध है।

प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन अपलोड किये जा चुके हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-3) वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन कर दिये गये हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है (संलग्नक-4), प्रस्ताव में निहित समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

1. प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-02-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113105402015289
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	826905/-

Amount in Words : Eight Lakh Twenty-Six Thousand Nine
Hundred and Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
FSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113105402015289
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencir
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

A
E

20 MAR 2018

SYN21207029001

No such

SI



Online Submission & Monitoring of Environmental, Forest and Wildlife Clearances -A Single Window Clearance System

User Name: [Er Indrajit]
State: [Uttarakhand]
Role : [Applicant]

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/12371/2015 Construction of Village Beena to Tok Rano Motor Road unders District Sector	ROAD123712015133	113123712015133	04 Nov 2016	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 144540/-, strip plantation : 129492/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 274032/-	Paid	Fund Demand Verified by : 16 Feb 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Mar 2018 Transaction Date : 31 Mar 2018	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/10540/2015 Const. of Remaining part Jasoli-Kanda Motor Road under State Sector	ROAD105402015289	113105402015289	27 Oct 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 436905/-, CA for 10 year maintenance : 390000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 826905/-	Paid	Fund Demand Verified by : 26 Sep 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 28 Feb 2018 Transaction Date : 20 Mar 2018	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/11825/2015 Construction of Chenagaad-Ghanghasu (Bangar) Motor Road under State sectore	ROAD118252015930	113118252015930	08 Apr 2016	CA: 1305812/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Maintenance for 10 years : 1087733/- Eco Class V : 2395575/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4789120/-	Paid	Not Done	Demand Letter

Disclaimer

An Innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at (011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact
Environment, Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID), NIC, New Delhi. monitoring-fc(at)nic(dot)in.

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

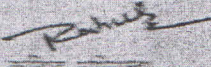

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

भू-वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू-वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/सूचों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।


जिला सूरवेक्षण
राज्य योजना
रुद्रप्रयाग

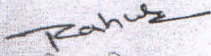

जिला इंजीनियर
राज्य योजना
रुद्रप्रयाग

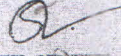

अविभागीय अभियन्ता
ग्राम खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग


अधिरास्ती अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No 10Dated 19-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.665 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jasoli-Kanda Motor Road Under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Kanda** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

- (g) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ~~0.66~~ hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~1~~ to ~~2~~ annexure....
- (h) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoermment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (i) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Raghu
Signature

जिला दफ्तारी

रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

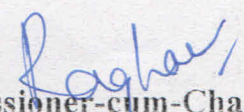
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langar I.A.S deputy commissioner Rudraprayag on date 19/12/14.. at timeat Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 2.7825 hect for the construction of Jasoli-Latu Devta-Bhunka motor road (5.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:.....


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -----

तहसील रुद्रप्रसाद, जिला रुद्रप्रसाद

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला रुद्रप्रसाद उत्तराखण्ड में

जसोली काण्डा परियोजना के निर्माण हेतु

हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.245 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.420 हे0, वन पंचायत भूमि
हे0) अर्थात् कुल 0.665 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था
के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत काण्डा द्वारा दिनांक 12-12-2014 को
सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी जज्जा किसी भी
आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि
कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर
ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम काण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

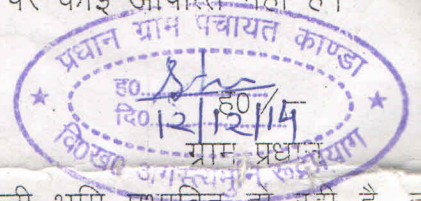
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / -

ग्राम सचिव

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 12-12-2014 को ग्राम सभा की सम्मन बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत कावडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेश चन्द	राजेश चन्द
	पुनम देवी	पुनम देवी
	देवेश्वरी देवी	देवेश्वरी देवी
	मंगला देवी	मंगला देवी
	रमेश चन्द	रमेश चन्द
	मोहन प्रसाद	मोहन प्रसाद
	सुभाष चन्द	सुभाष चन्द
	देवेश्वरी प्रसाद	देवेश्वरी प्रसाद
	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
	सुनिता देवी	सुनिता देवी
	वलसी राम	वलसी राम
	प्रमोद क	प्रमोद क
	श्रीदाश्वरी देवी	श्रीदाश्वरी देवी
	साधुवरी देवी	साधुवरी देवी

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जसोली-काण्डा मो. मार्ग का निर्माण ल० :- 2.0 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रुद्रप्रयाग

उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत

(0.245 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.420 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.665 हे० वन भूमि) का वैक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 15-12-14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री चर सिंह चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1- | श्री <u>चर सिंह चौधरी</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>अजय शर्मा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री <u>सुनील कुमार</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>हर्षवर्धन भट्ट</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र <u>देवराज लाल</u> | सदस्य <u>देवराज लाल</u> |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जसोली-काण्डा मो. मार्ग का निर्माण ल० :- 2.0 किमी०

परियोजना हेतु 0.665 हे० वन भूमि

प्रा० २४० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जसोली - काठवा - मौ. मार्ग ला. 2.00 km परियोजना के निर्माण हेतु 0.665 हे० वन भूमि ली. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- _____

जनपद _____

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- _____

जनपद _____

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिराष्टी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नामभूनिधर जिनकी भूमि जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 12-12-2014 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूनिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

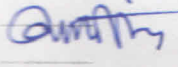
इसके अतिरिक्त स्वयं पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

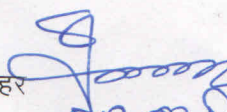
नाम भूनिधर

हस्ताक्षर


अधिराष्टी अभियन्ता
प्रान्तीय लोक निर्माण
रुद्रप्रयाग

नाम	हस्ताक्षर
1. देवदत्त (सहायक)	
2. गुलशन	
3. राजेश	
4. राजेश	
5. राजेश	
6. राजेश	
7. मोहन	
8. मोहन	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	

पटवारी / ह0 / मोहर


20 12 2014

नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०) के निर्माण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दलों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

क्र० सं०	भूमिधरों का नाम	खसरा नं०	अर्जित की जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल है० में०	हस्ताक्षर
	तुलसीराम	311167 311177	0.070	
	भाया राम	311178		
	शंकरा चन्द			
	प्रोद्दा प्रसाद			
	शुक्ला प्रसाद			शुक्ला प्रसाद
	देवश्वर प्रसाद			
	भगवती प्रसाद	16/1034 16/1035	0.0041	भगवती प्रसाद
	जगत राम	24/984 24/985	0.061	जगत राम
	शिव प्रसाद	3/544 3/545	0.020	
	दिनेश चन्द्र	9/3989/399	0.117	दिनेश चन्द्र
	हरीश चन्द्र			हरीश चन्द्र

हस्ताक्षर

राजस्व उपनिरीक्षक